संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश

"विजयाराजे वात्सल्य भवन", 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोनः 0755–2550909, 2550910 फेक्सः 0755–2550912
ई–मेलः commwcd@mp.nic.in बेबसाईटः www.mpwcd.nic.in, www.mpwcdmis.gov.in

क्रमांक / मबावि / भण्डार / निविदा / 2019–20 / 426

भोपाल, दिनांक..21.01.2020

किराये के वाहनो हेतु तृतीय निविदा आमंत्रण

:: ई–निविदा आमंत्रण सूचना ::

संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल कार्यालय अन्तर्गत अनुबंध दिनांक से दो वर्ष हेतु मासिक एवं दैनिक दर के आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु 02 bid सिस्टम (वित्तीय एवं तकनीकी bid) के आधार परhttps://mptenders.gov.in/nicgep/app के माध्यम से अधिकृत एवं प्रतिष्ठित फर्मो से ई–निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

निविदा क्रमांक एवं दिनांक	कार्य का नाम	ऑनलाइन निविदा जारी दिनांक	ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक
कमांक / मबावि / भण्डार / निविदा / 2019–20 / 426 भोपाल, दिनांक 21.01.2020	कार्यालय अन्तर्गत मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु (तृतीय निविदा आमंत्रण)	23-01-2020	13-02-2020 (शाम 05:30 बजे तक)

निविदा प्रपत्र से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं शर्तें वेबसाईट https://mptenders.gov.in/nicgep/app, www.mpwcdmis.gov.in तथा शासकीय कार्य दिवसों (कार्यालयीन समयावधि) में कार्यालय, संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल की भंडार शाखा से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रक्रिया से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए फोन नं0 0120-4001 002, 0120-4200 462, 0120-4001 005, 0120-6277 787 (टोल फ्री) पर सम्पर्क किया जा सकता है। ई–निविदा में होने वाले समस्त संशोधनों आदि का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइटस पर ही किया जावेगा, इस हेतु समाचार पत्रों में पृथक से विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13.02.2020 (अपरान्ह 05:30 बजे तक) है।

उप संचालक
संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म0प्र0

// संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश
"विजयाराजे वात्सल्य भवन", 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल
फोनः 0755–2550909, 2550910 फेक्सः 0755–2550912
ई–मेलः commwcd@mp.nic.in बेबसाईडः www.mpwcd.nic.in, www.mpwcdmis.gov.in

संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय हेतु मासिक/दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु

(अ) सामान्य जानकारीः–

क्र.	निविदा प्रक्रिया का विवरण	तिथि	समय
1	समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन	**23/01/2020**	–
2	निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की तिथि	**23-01-2020 से 13-02-2020**	(शाम 04:00 बजे तक)
3	निविदा पूर्व सम्मेलन(Pre-bid Conference)	**01/02/2020**	दोपहर 04:00 बजे से
4	निविदा जमा करने की तिथि	**06-02-2020 से 13-02-2020**	शाम 05:30 बजे तक
5	तकनीकी विड खुलने की तिथि एवं समय	**14-02-2020**	शाम 03:00 बजे
6	वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय	**17-02-2020**	शाम 03:00 बजे

(ब) प्रपत्र एवं निविदा प्रतिभूति राशि एवं निष्पादन प्रतिभूति राशि. का विवरण :–

	प्रपत्र एवं ई.एम.डी.	विवरण	राशि
अ	निविदा प्रपत्र	किराये के वाहन हेतु	**1,000/– (रू. एक हजार मात्र)**
ब	निविदा प्रतिभूति राशि	किराये के वाहन हेतु	**1,50,000/– (रू. एक लाख पचास हजार मात्र)**
स	निष्पादन प्रतिभूति राशि (सफल निविदाकार हेतु)	किराये के वाहन हेतु	**4,00,000/– (रू. चार लाख मात्र)**

संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश

"विजयाराजे वात्सल्य भवन", 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल

फोनः 0755–2550909, 2550910 फेक्सः 0755–2550912

ई–मेलः commwcd@mp.nic.in **बेबसाईटः** www.mpwcd.nic.in, www.mpwcdmis.gov.in

---

कमांक/मबावि /भण्डार/निविदा/2019–20/426 भोपाल, दिनांक 21.01.2020

ई–निविदा सूचना

कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय हेतु मासिक/दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध दिनांक से 02 वर्ष की अवधि के लिये ई–निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है।

- निविदा प्रपत्र राशि ₹ 1000/– **(राशि रू. एक हजार मात्र)** का ऑनलाईन भुगतान कर दिनांक **23-01-2020** को प्रातः 10:30 बजे से दिनांक **13-02-2020** को सांय 04:00 बजे तक https://mptenders.gov.in/nicgep/app के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है । निविदायें दिनॉक **13-02-2020** को सांय 05:30 तक ऑनलाईन जमा की जा सकेंगी।
- निविदा हेतु सभी अनिवार्य संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि तथा निविदा प्रतिभूति राशि को ऑनलाईन जमा करने के उपरांत उसकी छायाप्रति तकनीकी बिड खोले जाने के 01 दिवस पूर्व दिनांक **13-02-2020** को सांय 05:30 तक कार्यालय, संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र. भोपाल के भण्डार कक्ष में जमा किये जा सकेंगे। अंतिम तिथी एवं समय के पश्चात निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड दिनॉक **14-02-2020** एवं वित्तीय बिड (Price-bid) दिनांक **17-02-2020** को दोपहर 03:00 बजे खोली जायेगी।
- यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त होने/खोलने हेतु निर्धारित तिथी को अवकाश घोषित हो जाता है या अन्य किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो निविदा खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में पूर्ण की जायेगी।
- निविदा पूर्व सम्मेलन (Pre-bid Conference) दिनॉक **01/02/2020** को संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल के वार्ता कक्ष में दोपहर 04:00 बजे से आयोजित की जायेगी जिसमें निविदा में भाग लेने वाले सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ जारी निविदा के संबंध में चर्चा की जायेगी।
- आयुक्त, संचालनालय महिला एवं बाल विकास, म.प्र. भोपाल को किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अमान्य करने का अधिकार होगा।
- निविदा से संबंधित संशोधन एवं अन्य जानकारी https://mptenders.gov.in/nicgep/app पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।

उप संचालक
महिला एवं बाल विकास

ई–टेंडरिंग प्रणाली के अनुसार निविदा में भाग लेने हेतु दिशा निर्देश

1. निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म्स/कम्पनियों/संस्थानों को सर्वप्रथम ऑनलाइन पंजीयनhttps://https://mptenders.gov.in/nicgep/app/nicgep/app पोर्टल पर करना होगा जिसके आधार पर निविदाकार द्वारा संचालनालय महिला एवं बाल विकास की ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जा सकेगा। यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात निविदाकार म.प्र. शासन के किसी भी ई–निविदा प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।

2. ई–पेमेंट के द्वारा निविदाकार को भुगतान करना होगा।

3. निविदा प्रतिभूति राशि जो निर्धारित की गई है जिसे निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन आयुक्त, महिला एवं बाल विकास के पक्ष में जमा करना होगा । जो 01 वर्ष की लॉक–इन अवधि हेतु स्वीकृत होगी।

4. निविदाकार वेबसाईट **https://mptenders.gov.in/nicgep/app** पोर्टल पर लॉग–इन करके अमानत राशि जमा करके ई निवदा में भाग ले सकेंगे। निविदाकार स्वयं यह आश्वस्त कर ले कि वह ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।

ई–निविदा प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई–निविदा प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क फोन नं0 **0120-4001 002, 0120-4200 462, 0120-4001 005, 0120-6277 787** (टोल फ्री) पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10. 00 बजे से सायं 7.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं साथ ही ई–मेल आई.डी. **support-eproc(at)nic(dot)in** पर अपनी पृच्छा कर सकते हैं।

निविदा की शर्ते

भाग 1 – कार्यात्मक एवं तकनीकी विवरण

1. कार्यात्मक आवश्यकतायें :–

- कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा दो वर्ष के लिये मासिक एवं दैनिक आधार पर 17 किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई–टेंडरिंग प्रणाली से निविदा आमंत्रित की जाती हैं।
- अनुबंध अवधि के दौरान आवश्यकता अनुसार वाहनों की संख्या में कमी या बढोत्री की जा सकती है तदनुसार अनुबंधकर्ता को अनुबंध की भार्तों तथा दरों के अनुरूप ही वाहन उपलब्ध कराये जाने होंगे।
- अनुबंध हाने के उपरांत अनुबंधित संस्था द्वारा कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास को उपलब्ध कराये गये वाहन किसी अन्य को किराये पर उपलब्ध (Sublet) नहीं कराये जावेंगे।
- वाहन की दर 1000 किमी (ईधन एवं वाहन चालक सहित) मासिक रनिंग के आधार पर दी जावे। इसके अलावा पृथक से दैनिक किराया/मुख्यालय से बाहर दौरे पर जाने हेतु भी दर संलग्न प्रपत्र में दी जावे।
- निविदा में ट्रेवल एजेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं।

2. तकनीकी आवश्यकतायें :–

निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले समस्त निविदाकार (Bidders) को निम्नांकित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है, अन्यथा की स्थिति में प्रस्ताव अमान्य कर दिया जावेगाा :–

1- निविदाकार (Bidders) को Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाना होगी।

2. निविदा प्रतिभूति राशि **₹ 1,50,000/– (रू. एक लाख पचास हजार मात्र)** ऑनलाईन जमा करने की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना होगा। यह राशि आयुक्त **महिला एवं बाल विकास** भोपाल के नाम से देय हागी।

3. निविदाकार (Bidders) को किसी शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव होना आवश्यक है (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना होगा)।

4. निविदाकार द्वारा (Bidders) आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PEN Card) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

5. निविदाकार (Bidders) का वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Sarvice Tax) प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु वस्तु एवं सेवा कर (Goods & Sarvice Tax) संबधी पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

6. निविदाकार (Bidders) के पास कम से कम 10 वाहनों का स्वामित्व एवं 15 वाहनों हेतु अनुबंध की शर्तों को मानने वाले अन्य वाहन मालिकों के साथ 02 वर्ष का करार (Contract) होना आवश्यक है। इस हेतु अनुबंधित वाहनों के पंजीयन की प्रति तथा अन्य वाहन मालिकों के साथ करार (Contract) की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

7. विगत 03 वर्षो (2017, 2018 तथा 2019) का प्रतिवर्ष औसत टर्नओवर रूपये 75 लाख से अधिक होने का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र।

8. वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

9. निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।

भाग 2 – अन्य सामान्य शर्ते

1. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का माडल दिनांक 01.07.2018 से पुराना नहीं होना चाहिए। किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन सफेद (White/off White) होना चाहिये।

2. किराये की अवधि में वाहन में ईधन प्रदाय की जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी एवं वाहन के संधारण पर होने वाली टूट–फूट, बैटरी, टायर–टयूब आदि के व्यय की संपूर्ण जिम्मेदारी भी वाहन प्रदाता की होगी।

3. किराये पर दिये जाने वाले वाहन में आपात स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक अतिरिक्त कल–पुर्जे (Spare Parts) यथा फेन बेल्ट, स्टेपनी–व्हील, बल्ब ,फयूजेज ,जैक ,स्टैन्डर्ड टूल्स ,फर्स्ट–एड बॉक्स आदि सदैव उपलब्ध रखना होगा।

4. वाहन स्वचालित (Selfstart) होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहिये के टायर–टयूब अच्छे होना चाहिए व माईलोमीटर हमेशा चालू एवं शून्य त्रुटि का होना अनिवार्य है, इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी। मासिक दर के आधार पर वाहन को एक दिवस के लिए सर्विसिंग कार्य के लिए छूट इस शर्त पर दी जावेगी कि इसके स्थान पर अन्य वाहन, वाहन प्रदाता द्वारा कार्यालय महिला एवं बाल विकास को उपलब्ध कराया जावेगा।

5. वाहन प्रदाता द्वारा वाहन चालक के माध्यम से वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, समस्त करों की भुगतान रसीदें, व्यवसायिक उपयोग हेतु अनुमति पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज की एक प्रति भण्डार शाखा में एवं एक प्रति हमेशा वाहन में रखना आवश्यक होगा। वाहन चालक को बदलने की स्थिति में सूचना मय आवश्यक कागजात के वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी एवं भण्डार को देना आवश्यक होगा।

6. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

7. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को समान्यतः दो घण्टे से अधिक वाहन पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा। वाहन के खराब होने के स्थान से गैरेज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

8. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा। मांग अनुसार वाहन 24 घंटे के अंदर उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई निष्पादन प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जब्त की जा सकेगी और आने वाले 2 वर्ष के लिए वाहन की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

9. माईलोमीटर की गडबडी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सडक मार्ग को निर्धारित दूरी मान्य की जावेगी।

10. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्यूनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा।

11. प्रपत्र–ब में उल्लेखित 12X7 के मासिक रूप से वाहन उपलब्धता में वाहन प्रदायकर्ता को समस्य शासकीय नियमों का पालन करते हुए आवश्यक वाहन चालकों को संलग्न करना होगा। वाहन चालक की कर्तव्य अनुपस्थिति पर वैकल्पिक चालक भेजना आवश्यक होगा। चालक/वैकल्पिक चालक की अनुपस्थिति पर आयुक्त महिला एवं बाल विकास कार्यालय द्वारा राशि रू. 1500/– प्रतिदिन के मान से कटोत्रा देयक में से किया जावेगा।

12. सफल अनुबंधकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन चालक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व :-

1. यात्रा वाहन चालक अनुभवी एवं शारीरिक रूप से सक्षम (Fit) होना चाहिये। वाहन चालक की eyesight तथा reflexes उत्तम होना चाहिये।

2. वाहन चालक के पास नियमानुसार वाहन चलाने का वैध व्यवसायिक ड्रायविंग लायसेंस एवं आधार नम्बर होना अनिवार्य है।

3. वाहन चालक को भोपाल शहर के मार्गों, स्थानों एवं विभिन्न शर्तोंासकीय कार्यालयों की स्थिति का समुचित ग्यान होना चाहिये। यात्रा के दौरान दुर्गम स्थान में भी वाहन ले जाया जायेगा। वाहन चालक का यह कर्तव्य होगा कि उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करें।

4. वाहन प्रदाता को हर समय वाहन चालक को कार्य करने के लिए तैयार रहने का आदेश देना आवश्यक है।

5. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल है, वाहन प्रदायकर्ता स्वयं वहन करेगा। यह कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों से कम नही होगा। वाहन चालक हेतु अन्य वैधानिक पंजीयन कराना वाहन स्वामी के लिए अनिवार्य होगा।

6. वाहन चालक की ड्यूटी 12X7 के मासिक रूप में संबंधित अधिकारी के आधीन होगी। वाहन संबंधित अधिकारी के निवास पर रहेगा, वाहन रखने की जगह न होने की स्थिति में वाहन प्रदायकर्ता/संस्था वाहन रखने की व्यवस्था स्वयं करेगी।

7. वाहन की समय-समय पर सर्विसिंग, रख-रखाव एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्था एवं वाहन चालक की होगी।

8. वाहन चालक वाहन उपयोगकर्ता के प्रति विनम्र होगा एवं डयूटी के समय निर्धारित वर्दी पहनेगा साथ ही पान , बीडी-सिगरेट , शराब एवं तम्बाकू का सेवन नहीं करेगा।

9. वाहन चालक वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेगा।

10. वाहन चालक को सडक यातायात नियम/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा। सडक यातायात नियमों को तोडने की स्थिति में होने वाले आर्थिक-दंड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का वहन अनुबंधकर्ता को ही किया जाना होगा।

11. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी या वाहन प्रभारी से प्रतिदिन माइलोमीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लॉग-बुक में कराना होगा। प्रमाणित लॉग-बुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. वाहन चालक को नियमों-अधिनियमों के तहत पारिश्रमिक का भुगतान अनुबंधकर्ता संस्था द्वारा किया जावेगा।

13. विभाग की आवश्यकता अनुसार वाहन चालक को वाहन समयावधि से अधिक एवं जिले से बाहर भी चलाना पड़ सकता है। मांग किए जाने के एक घंटे के अंदर वाहन निर्धारित स्थान पर पहुंचाना होगा।

13. निविदाकर्ता को समस्त संवैधानिक बंधनों (Obligations) यथा अनुबंध श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , सेवा कर अधिनियम, Minimum weges Act एवं अन्य प्रभावशील अधिनियम जो अनुबंध के समय प्रचलित हैं तथा जो भविष्य में प्रभावशील होंगे उनका अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।

14. सफल निविदाकार के साथ किये जाने वाले अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के लिये न सिर्फ अनुबंधकर्ता बल्कि अनुबंधकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि (वाहन चालक सहित) भी जिम्मेदार होंगे।

15. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में अनुबंधकर्ता या वाहन चालक द्वारा दुर्घटना के संबध में भंडार शाखा संचालनालय महिला एवं बाल विकास को तत्काल अवगत कराया जावेगा।

16. अनुबंधकर्ता अपनी जोखिम पर वाहनों का प्रचालन करेगा। वाहनों के प्रचालन करते हुये वाहन या व्यक्ति (Travelling) के साथ होने वाली घटना/दुघर्टना के लिये कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास जिम्मेदार नहीं होगा।

17. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख/आयुक्त महिला एवं बाल विकास भोपाल को होगा। यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

18. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, महिला एवं बाल विकास भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

19. सफल निविदाकर्ता L1 के द्वारा वित्तीय बिड में उल्लेखित वाहनों में से आवश्यकतानुसार किसी भी वाहन की मांग मासिक या दैनिक आधार पर कार्यालय द्वारा किये जाने पर उस वाहन को उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त वाहन को कार्यालय अन्य संस्थाओं से किराये पर लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

20. वाहन आवश्यकता/मांग के अनुसार बैठक/कार्यशाला/क्षेत्र–भ्रमण हेतु समय–समय पर किराये पर लिये जायेंगे तथा वाहनों को आवश्यकता/मांग अनुसार मासिक किराये पर लिये जा सकते हैं। वाहन आवश्यकतानुसार भोपाल से बाहर भी प्रदेश में सभी स्थानों पर भेजे जा सकेंगे।

21. उन्हीं निविदाकारों की निविदायें मान्य की जायेंगी, जो भोपाल में किराये के वाहनों का व्यवसाय करते हों एवं जिनका मुख्य कार्यालय भोपाल में संचालित होगा। वाहनों को किराये पर मुख्यतः मासिक एवं दैनिक आधार पर लिया जायेगा।

21.1 निविदायें न्यूनतम 1000 कि.मी. प्रतिमाह मासिक आधार पर वाहन किराये की दरें एवं दैनिक आधार प्रति कि.मी. के अनुसार दरें आमंत्रित की जा रही हैं उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी प्रपत्र 1, 2, 3, एवं 4 के रूप में संलग्न है। निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र के प्रत्येक कॉलम की पूर्ति अनिवार्य रूप से की जावे, अन्यथा आपकी निविदा पर विचार किया जाये अथवा नहीं यह अधिकार कार्यालय को होगा। जो वाहन मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित होंगे, उन आवंटित वाहनों का उपयोग मुख्यालय से बाहर भी शासकीय भ्रमण हेतु किया जावेगा।

21.2 मासिक रूप से किराये पर अनुबंधित होकर अधिकारियों को आवंटित वाहनों के द्वारा किये जाने वाले शासकीय भ्रमणों के देयकों का भुगतान 1000 कि.मी. की सीमा के उपरांत ही दैनिक दरों पर किया जावेगा।

22. मान्य दरें आगामी 02 वर्ष के लिए लागू रहेंगी। अनुबंध की अवधि को आयुक्त महिला एवं बाल विकास द्वारा आपसी सहमति से 01 वर्ष हेतु बढायी जा सकेगी।

23. शासकीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल–टैक्स आदि का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान की रसीद मूलतः मासिक देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वास्तविक व्यय की प्रतिभूति की जायेगी।

24. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. (Tax Deduction at Source) की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।

25. वाहन 24 घंटे विभाग के अधीन रहेगा।

26. अनुबंधकर्ता के पास 10 वाहनों का स्वामित्व एवं 15 वाहनों हेतु अनुबंध की शर्तों को मानने वाले अन्य वाहन मालिकों के साथ 02 वर्ष का करार (Contract) होना आवश्यक है। इस हेतु अनुबंधित वाहनों के पंजीयन की प्रति तथा अन्य वाहन मालिकों के साथ करार (Contract) की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी।

27. पृथक–पृथक मॉडल के वाहन हेतु पृथक–पृथक दर निविदा में निर्धारित प्रपत्र में दी जावे।

————————————

भाग 3:— वित्तीय विनिर्देश

3. निविदा प्रक्रिया—

निविदा प्रपत्र का मूल्य— निविदा फार्म, शर्ते एवं प्रपत्र की प्रति मध्यप्रदेश ई—प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://https://mptenders.gov.in/nicgep/app एवं विभागीय वेब साईट https://www.mpwcdmis.gov.in से दिनांक **23-01-2020** से दिनांक **13-02-2020** तक समय शाम 04:00 बजे तक डाउनलोड किया जा सकता है । निविदा दस्तावेज शुल्क **रु. 1000/— (एक हजार रुपये मात्र)** ई—भुगतान के रूप में मध्यप्रदेश ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://https://mptenders.gov.in/nicgep/app में जमा करना आवश्यक है।

3.1 निविदा दस्तावेज— निविदाकार को निविदा 03 लिफाफों ''A'' और ''B'' में प्रस्तुत करनी होगी।

लिफाफे ''A'' में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र रहेंगें :—

1. प्रपत्र — अ—1 सूचना पत्र
2. प्रपत्र — अ—2 घोषणा पत्र
3. प्रपत्र — अ—3 निविदा प्रतिभूति राशि की जमा रसीद
4. प्रपत्र — अ—4 निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र
5. प्रपत्र —अ—5निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

(लिफाफा ''A'' अन्तर्गत जिन दस्तावेजों को स्केन करके ऑनलाईन प्रस्तुत किया गया है, उन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियां एवं निविदा प्रतिभूति राशि ऑनलाईन जमा करने की पावती संचालनालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय की भण्डार शाखा में जमा करना होगा। तकनीकी बिड खोले जाते समय संस्था या प्रतिनिधि मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित हों ताकि मूल दस्तावेजों का मिलान करते हुये सत्यापन किया जा सके)

लिफाफे ''B'' :— वित्तीय बिडः— निविदा हेतु वित्तीय बिड (Price Bid)

लिफाफे ''B'' में निम्नानुसार अभिलेख/प्रपत्र रहेंगे:—

1. प्रपत्र —ब—1 अंतर्गत मासिक आधार पर दरें।
2. प्रपत्र —ब—2 अंतर्गत दैनिक आधार पर दरें।

निविदाकार को निविदा से संबधित अभिलेख/लिफाफों ''A'' और ''B'' को ऑनलाइन जमा करना होगा,साथ ही लिफाफा ''A'' अंतर्गत चाहे गये दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय के भंडार कक्ष में जमा करने होंगे।

3.3 निविदा प्रक्रिया का निरसन – आयुक्त महिला एवं बाल विकास को बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा। निरसन की स्थिति में निविदा प्रपत्रों की राशि वापस नहीं की जायेगी।

3.4 निविदा प्रतिभूति राशि – निविदा प्रतिभूति राशि **1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)** को आयुक्त, महिला एवं बाल विकास भोपाल के नाम **दिनांक 13-02-2020 को 5:30 बजे** तक सभी संलग्न प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा।

3.5 निविदाओं का मूल्यांकन – ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://https://mptenders.gov.in/nicgep/app के माध्यम से प्राप्त निविदा की **तकनीकी बिड प्रपत्र–अ–1, 2, 3 एवं 4** में संलग्न दस्तावेजों का संचालनालय में गठित समिति द्वारा मूल्यांकन किया जायेगा एवं अर्हताएं पूरी न करने वाले निविदाकारों के प्रस्ताव निरस्त करने की अनुशंसा की जायेगी तथा तकनीकी रूप से वैध निविदाकारों की प्राईस बिड (Price Bid) ऑनलाईन खोलने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः निविदाकार को चाहिये कि जानकारी प्राप्त करने हेतु निविदा में अपनी संस्था का E-mail पता आवश्यक रूप से अंकित करे ।

4. निविदाकारों की अर्हतायें –

4.1 तकनीकी प्रस्ताव –

ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से प्रस्तुत निविदा में तकनीकी बिड के अन्तर्गत निम्नानुसार दस्तावेजों को स्केन कर अपलोड करना अनिवार्य होगा –

(प्रपत्र–अ–5):–

1. निविदाकर्ता को परिचय व विवरण उद्घोषित करना होगा। स्वामित्व/भागीदारी/कम्पनी की ओर से निविदा भरने हेतु विधिक रूप से अधिकृत हो। निविदाकार के एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।
2. निविदाकार (Bidders) को Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जाना होगी।
3. वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाणपत्र ।
4. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में पंजीयन के प्रमाण–पत्र की प्रति।
5. ई. एस. आई. सी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।

6. निविदाकार (Bidders) के पास 10 वाहनों का स्वामित्व एवं 15 वाहनों हेतु अनुबंध की शर्तोंको मानने वाले अन्य वाहन मालिकों के साथ 02 वर्ष के करार (Contract) की प्रति।
7. निविदाकर्ता संस्था का चार्टेड एकाउन्टेट से सत्यापित विगत 03 वर्षो (2017, 2018 तथा 2019) का औसत टर्नओवर 75 लाख से अधिक होने का प्रमाण पत्र।
8. निविदाकर्ता को आयकर (IT) क्लीरेन्स प्रमाण पत्र तीन वर्ष का आयकर विवरणी अथवा नोटरी से सत्यापित घोषणा पत्र।
9. निविदा प्रतिभूति राशि 1,50,000/– (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) ऑनलाईन जमा करने की पुि ट हेतु दस्तावेज।
10. ाासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी) शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
11. निविदाकार (Bidders) को आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PEN Card) की वैध प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।
12. निविदाकार (Bidders) का वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता के रूप में पंजीकरण आवश्यक है। इस हेतु Goods & Sarvice Tax हेतु पंजीयन की प्रति प्रस्तुत की जाना होगी ।
13. निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।

4.2 **<u>वित्तीय प्रस्ताव</u>** – निविदाकर्ता द्वारा निविदा में घोषित राशि में निविदा कार्यो के सम्पादन करने वाले सभी कर्मचारियों के डयूटी रोस्टर, लेबर, पंजियन शुल्क, विभिन्न प्रकार के समस्त कर इत्यादि सम्मिलित होंगे। इसका कोई भी भुगतान अलग से कार्यालय द्वारा देय नही होगा। मासिक एवं दैनिक आधार पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तुत की जाने वाली दरों में डीजल,वाहन चालक, संधारण टैक्स एवं सभी प्रकार के अन्य प्रचलित कर सम्मिलित होंगे

4.3 **<u>हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा</u>** – निविदाकर्ता को निविदा की शर्तो एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाना अनिवार्य होगा।

4.4 **<u>निविदा प्रस्ताव के वैधता की अवधि</u>** – अनुबंध की अवधि 02 वर्ष के लिए होगी। 02 वर्ष पश्चात् यदि सेवाऐं सफलतापूर्वक कार्य अनुरूप निष्पादित पाई जाती है तो अनुबंध की अवधि दोनो पक्षों की सहमति से आगामी निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक अथवा अधिकतम एक वर्ष के लिए समस्त शर्तो पर अनुबंध बढाया जा सकता है।

4.5 **<u>दरें</u>** – दरों का उल्लेख केवल वित्तीय प्रस्ताव में निर्धारित स्थान पर होना चाहिये। दरें भारतीय रूपये में एक रूपये के गुणांक में होना चाहिये। (दरों की प्रविष्टि ऑनलाईन की जाये)

4.6 **<u>अपात्रताएं</u>** – निविदा प्रपत्रों में उल्लेखित किसी भी शर्त को पूर्ण न करने पर निविदाकार स्वतः अपात्र माना जायेगा।

4.7 **<u>शर्तों की ग्राह्यता की संतुष्टि</u>** – जिस निविदाकर्ता के पक्ष में निविदा स्वीकृत होगा उसके संबंध में यह भी माना जावेगा कि उसने उक्त सभी शर्तो को अच्छी तरह से पढ ली एवं समझ ली हैं। वे सभी शर्ते उसे स्वीकार है तथा उन्ही शर्तो के अंतर्गत उसने निविदा प्रस्तुत की हैं।

4.8 **<u>अनुबंध का निर्धारण:–</u>** कार्यालय महिला एवं बाल विकास में अधिकांश वाहन रू. 6.50 लाख (Ex-Showroom Price) तक की दरों वाले वाहनों का ही अनुबंध किया जाना है , अन्य वाहन आवश्यकता होने पर अनुबंधित किये जायेंगे। अतः किसी भी निविदा का विश्लेषण करते समय 6.50 लाख तक वाहन की दरों को ही आधार माना जायेगा।

5. <u>वित्तीय बिड का परीक्षण :–</u>

वित्तीय ऑफर संलग्न प्राईस बिड प्रारूप (1 एवं 2) अनुसार ऑनलाईन चाहे गये हैं। प्रत्येक प्रपत्र में वाहन के दर (Ex-Showroom Price) अनुसार वित्तीय विड (1 एवं 2) निविदाकार प्रस्तुत करेंगे। निविदाकार प्राईस बिड–1 में वाहनों की मासिक आधार एवं प्राईस बिड–2 में वाहनों की दैनिक आधार पर दर (EX Showroom Price) प्रस्तुत करेंगे।

5.1 चूंकि कार्यालय में अधिकांश वाहन रू. 6.50 लाख के अनुबंधित किये जाना है। अतः निविदाकारों से प्राप्त मासिक दरों की प्राईस बिड–1 में रू. 6.50 लाख (A) तक के वाहन की सबसे न्यूनतम दर L1 प्रस्तुत करने वाली संस्था को दैनिक दर की प्राप्त प्राईस बिड–2 न्यूनतम दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जायेगा (दैनिक दरों की प्राईस बिड–2 की न्यूनतम दर अन्य संस्था की प्राप्त होने की स्थिति में)।

5.2 निविदाकारों से प्राप्त मासिक दरों की प्राईस बिड–1 में रू. 6.50 लाख (A) तक के वाहन की सबसे न्यूनतम दर L1 प्रस्तुत करने वाली संस्था (निविदाकार) को मासिक एवं दैनिक आधार पर अन्य वाहनों (रू. 8.00 लाख B, रू. 10.00 लाख C एवं इनोवा D) के लिये निविदाकर्ताओं से प्राप्त न्यूनतम दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जावेगा।

5.3 यदि मासिक दरों की प्राईस बिड–1 में रू. 6.50 लाख (A) तक के वाहन की सबसे न्यूनतम दर L1 प्रस्तुत करने वाली संस्था (निविदाकार), मासिक एवं दैनिक आधार पर अन्य वाहनों (रू. 8.00 लाख B, रू. 10.00 लाख C एवं इनोवा D) के लिये निविदाकर्ताओं से प्राप्त न्यूनतम दर पर कार्य करने हेतु सहमति देता है तो उपरोक्त समस्त निविदा में उल्लेखित शर्त अनुसार कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा।

6. <u>अनुबंध का निष्पादन</u>

6.1 **अनुबंध का नोटीफिकेशन** – निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकर्ता को स्वयं के खर्च पर निर्धारित शुल्क के (रूपये 500/–) गैर–न्यायिक स्टॉम्प पर **<u>अनुबंध</u>** निविदा स्वीकृति से 07 दिवस के अन्दर करना होगा। निविदाकर्ता के द्वारा दी गई कोई भी शर्त मान्य नही होगी।

6.2 **अनुबंध में हस्ताक्षर** – दोनों पक्षों के हस्ताक्षर एवं गवाहों के हस्ताक्षर के उपरांत ही अनुबंध पूर्ण माना जाएगा।

6.3 **बैंक गारंटीः–**

1. निविदाकार को निविदा के साथ निविदा प्रतिभूति राशि **₹1,50,000/– (रूपये एक लाख पचास हजार मात्र)** आयुक्त महिला एवं बाल विकास के नाम से डिपोजिट फ्लैग करना होगा, जो निष्पादन प्रतिभूति राशि का FDR प्राप्त होने पर वापस कर दी जायेगी।
2. अनुबंधकर्ता निविदाकार को निष्पादन प्रतिभूति राशि **रुपये ₹4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र)** धनराशि का FDR जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार कर आयुक्त, महिला एवं बाल विकास भोपाल के नाम बैंक गारंटी के रूप में जमा कराना होगा। जो अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर वापस कर दी जायेगी।
3. निविदा स्वीकृति आदेश से 02 वर्ष के लिये यह व्यवस्था होगी, यदि संस्था/एजेंसी निविदा शर्तों के अनुरूप कार्य संपादित करने में असफल होती है या समय पूर्व अनुबंध तोड देती है तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि **रुपये ₹4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र)** को आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा ।
4. यदि सफल निविदाकार अपने निविदा प्रस्ताव को निविदा कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वापस ले लेता है अथवा अनुबंध का पालन करने से इंकार कर देता है अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है तो निविदा प्रतिभूति राशि को राजसात किया जा सकता है।
5. यदि सफल निविदाकार सौंपे गये कार्य को करने में असफल रहता है या कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात अपनी ऑफर वापस ले लेता है तो निविदा प्रतिभूति राशि को राजसात किया जा सकता है।
6. असफल निविदाकारों की निविदा प्रतिभूति राशि की राशि को अन्य निविदा स्वीकार करने के उपरांत वापस कर दिया जायेगा।

6.4 **<u>सेवाएं एवं वारंटी –</u>** कार्य स्थल पर निविदाकर्ता तथा उसके कर्मचारी शराब या अन्य मादक वस्तुओ का सेवन नही करेगें तथा उनका व्यवहार जनता एवं कर्मचारियों के प्रति सौम्य एवं नम्रतापूर्वक होना चाहिये। शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंधकर्ता के विरूद्ध आर्थिक दण्ड ,संबंधित कर्मी को हटाना या गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने संबधी पूर्ण अधिकार आयुक्त महिला एवं बाल विकास भोपाल को होगा।

6.5 **पेनाल्टी** – यदि वाहन चालक निर्धारित समय पर वाहन के साथ उपस्थित नहीं होता है एवं बगैर सूचना के अनुपस्थित रहता है जिसकी शिकायत संबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा की जाती है तो उस माह के देयक से रू. 1500 प्रति दिवस की दाण्डिक कटौती की जाएगी एवं कार्यालय में मासिक दर पर लगाए गए वाहन के निरीक्षण/आंकलन के दौरान वाहन ठीक हालत में न पाए जाने पर प्रति कार्य दिवस के मान से मासिक देयक से अधिकतम 5 प्रतिशत की राशि कटौत्रे के रूप में काटी जा सकेगी एवं शिकायत की तीन से अधिक बार पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

6.6 **अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन** – निविदाकर्ता के कर्मियों का व्यवहार सन्तोषप्रद न होने पर या शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी भी प्रकार की शर्तो का उल्लघंन करने पर निविदाकर्ता के विरुद्ध आर्थिक दण्ड, संबंधित कर्मी को हटाने एवं गंभीर प्रकरण में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी, इसका पूर्ण अधिकार आयुक्त महिला एवं बाल विकास भोपाल को होगा।

6.7 संचालनालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय परिसर में सफल निविदाकर्ता के अनुबंधित वाहनों की अवकाश वाले दिवस एवं रात्रि में पार्किंग नहीं की जा सकेगी। डयूटी टाईम पूरा होने के पश्चात अनुबंधित वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के निवास पर रखे जायेंगे निवास पर स्थान न होने की स्थिति में फर्म द्वारा स्वयं वाहन के रखने की व्यवस्था की जायेगी किन्तु किसी भी स्थिति में कार्यालय परिसर में वाहन नहीं रखा जायेगा। अनुबंधित वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था निविदाकर्ता की होगी उक्त नियमों का उल्लंघन करने पर निविदाकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

6.8 कार्यालय परिसर में अनुबंधित वाहन चालकों का अनाधिकृत रूप से बिना अनुमति प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।

6.9 संचालनालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय हेतु मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन किराये पर उपलब्ध कराने हेतु अनुबंध में जो दरें अनुमोदित होंगी, उन दरों पर अन्य अधिकृत ट्रेवल एजेंसी से आपवादिक परिस्थिति में किराये पर वाहन लिये जाने हेतु सफल निविदाकर्ता को लिखित में सहमति देनी होगी।

7. **भुगतान** – अनुबंधकर्ता द्वारा माह की समाप्ति के उपरांत आगामी माह की 5 तारीख तक किराए पर लिए गए वाहनों की संख्या के मान से वाहन उपयोगकर्ता के द्वारा देयक एवं लॉग–बुक प्रमाणित करा कर देयक प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत इन देयकों का भुगतान अनुबंधकर्ता के बैंक खाता (अकाउंट) में किया जायेगा।

8. **विवाद का निराकरण**– किसी भी विवाद एवं शर्तो की अवहेलना अथवा अवचार या कदाचरण की स्थिति में निविदा निरस्त करने संबंधी समस्त अधिकार आयुक्त महिला एवं बाल विकास के पास सर्वथा सुरक्षित रहेगा। प्रकरण में न्यायालयीन परिस्थितियां उद्भूत होने पर प्रकरण भोपाल स्थित न्यायालय में ही चल सकेगा।

उप संचालक
महिला एवं बाल विकास
मध्यप्रदेश

(संस्था के लेटर–हेड पर)

प्रपत्र–अ–1
//सूचना पत्र//
(लिफाफा–'A' में प्रस्तुत किया जाए)

प्रति,

आयुक्त,
महिला एवं बाल विकास,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

विषय – कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय हेतु मासिक/दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा के संबंध में।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र .... में प्रकाशन के द्वारा ज्ञात हुआ है कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास म.प्र. भोपाल के कार्यालय मासिक एवं दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://mptenders.gov.in के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई हैं। इस हेतु मेरे द्वारा निविदा से संबंधित निम्न प्रपत्र हस्ताक्षर कर आपके कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं :–

1. आयकर के स्थायी लेखा संख्या (PEN Card) की वैध प्रति ।
2. निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।
3. Tour & Taxi Operator या Travel Agency के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति ।
4. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में पंजीयन के प्रमाण–पत्र की प्रति।
5. ई. एस. आई. सी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।
6. 10 वाहनों का स्वामित्व एवं 15 वाहनों हेतु अनुबंध की शर्तों को मानने वाले अन्य वाहन मालिकों के साथ 02 वर्ष का करार (Contract) की प्रति।
7. चार्टेड एकाउन्टेट से सत्यापित विगत 03 वर्षो (2017, 2018 तथा 2019) का औसत टर्नओवर 75 लाख से अधिक होने का प्रमाण पत्र।
8. शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (इस हेतु मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबंधी) प्रमाणपत्र।
9. वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods & Sarvice Tax) के रूप में पंजीकरण की प्रति ।
10. वैध बैंक खाते के ब्यौरे ।
11. आयकर (IT) क्लीरेन्स प्रमाण–पत्र तीन वर्ष का आयकर विवरणी अथवा नोटरी से सत्यापित घोषणा पत्र।

दिनांक : .... **हस्ताक्षर : ....**
स्थानः .... **फर्म का नाम :...........................**
E-Mail - ………………………

प्रपत्र – अ–2

//घोषणा पत्र//

(लिफाफा–'A' में प्रस्तुत किया जाए)

1. मैं/हम नाम/फर्म का नाम .... .भारत का/के नागरिक हूं/हैं। (आगामी बिन्दुओं में मैं/हम अधोहस्ताक्षरी निविदाकर्ता के लिए प्रयुक्त होगा)।

2. मैं/हम भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार संविदा के लिये सक्षम हूँ/हैं।

3. मुझे/हमें मासिक एवं दैनिक दर पर वाहन उपलब्ध कराने के कार्यो के लिए म.प्र. शासन के किसी विभाग द्वारा बहिष्कृत नहीं किया गया है।

4. मै/हम किसी ऐसे ठेकेदार जो कि, म.प्र. शासन के किसी भी विभाग द्वारा बहिष्कृत किया गया हो के ना तो अभिकर्ता हूॅ/हैं और न ही उसके लिये कार्य करता हूं/करते हैं।

5. मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त वाहन एवं वाहन चालकों के कार्य की गुणवत्ता ठीक न पाए जाने पर उससे जो नुकसान होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी स्वयं की होगी।

6. मेरे/हमारे द्वारा निविदा की शर्तों के अलावा अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि अन्य कोई शर्तें प्रस्तुत की गयी है, तो उसे अमान्य किया जावे।

7. मैं/हम श्रम कानूनों एवं बाल श्रम अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतः पालन करूंगा/करेंगें।

दिनांक :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

फोन एवं मो. नं. ....

E-mail______________________________________

प्रपत्र – अ–3

//निविदा प्रतिभूति राशि//

(लिफाफा–'A' में प्रस्तुत किया जाए)

कार्य का नाम :– कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय हेतु मासिक/दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।

निविदा प्रतिभूति राशि का विवरण दर्ज कर संबंधित मूल दस्तावेज के साथ प्रथम लिफाफे में निविदा प्रतिभूति राशि/निविदा प्रतिभूति राशि दस्तावेज पर उल्लेख करते हुये रखने हेतु।

अनुबंध हेतु जमा निविदा प्रतिभूति राशि से संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर का विवरण :–

क्र.	ऑनलाईन जमा रसीद क्र.	राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम एवं शाखा	राशि	जारी होने का दिनांक	वैधता अवधि

कार्य का नाम : ....

निविदा क्रमांक एवं दिनांक : ....

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

नाम : ....

पूरा पता : ....

...

फोन एवं मो. नं. ....

Email___________________________

प्रपत्र – अ–4

//निविदा की शर्ते एवं नियम से सहमति पत्र//

(लिफाफा–'A' प्रस्तुत किया जाए)

//सहमति पत्र//

मैं .... पुत्र .... वास्ते फर्म .... आपके कार्यालय द्वारा विज्ञापित निविदा में भाग लेना चाहता हूं। मेरे द्वारा ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://https://mptenders.gov.in/nicgep/app के माध्यम से जारी निविदा की शर्तो के अंतर्गत भाग 1 एवं 2 में वर्णित कंडिका क्र. 1 से 8 तक की कंडिकाओं एवं उनके अंतर्निहित समस्त उपकंडिकाओं का अध्ययन कर लिया है तथा मैं उनसे सहमत हूं (निविदा की शर्तो एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर नाम एवं हस्ताक्षर कर रबर स्टेम्प लगाकर प्रस्तुत) एवं यदि मेरी निविदा मान्य की जाती है तो कार्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो के आधार पर अनुबंध हेतु सहमत हूं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

<u>प्रपत्र – अ–5</u>

<u>//निविदाकार द्वारा तकनीकी बिड हेतु प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी//</u>

<u>(लिफाफा–'A' एवं 'B' में प्रस्तुत किया जाए)</u>

निविदाकार का नाम :–

र	तकनीकी मापदण्ड	रिमार्क
1.	निविदा प्रतिभूति राशि रू. 1,50,000/– (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) को ऑनलाईन जमा किये जाने की रसीद की छायाप्रति संलग्न करें।	
2.	**Tour & Taxi Operator** या **Travel Agency** के रूप में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।	
3.	आयकर के स्थायी लेखा संख्या (पेन नं.) की प्रति।	
4.	नगर निगम द्वारा जारी गुमाश्ता लायसेंस की प्रति।	
5.	चार्टेड एकाउन्टेट से सत्यापित विगत 03 वर्षो (2017, 2018 तथा 2019) का औसत टर्नओवर 75 लाख से अधिक होने का प्रमाण पत्र।	
6.	वस्तु एवं सेवा कर प्रदाता (Goods and Sarvice Tax) हेतु पंजीयन की प्रति।	
7.	वाहनो का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेक्सी परमिट के रूप में पंजीयन होने संबधी आवश्यक प्रमाणपत्र ।	
8.	निविदाकार (Bidders) के पास 10 वाहनों का स्वामित्व एवं 15 वाहनों हेतु अनुबंध की शर्तों को मानने वाले अन्य वाहन मालिकों के साथ 02 वर्ष का करार (Contract) की प्रति।	
9.	कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) कार्यालय में पंजीयन के प्रमाण–पत्र की प्रति।	
10.	ई. एस. आई. सी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
11.	शासकीय संस्था के साथ कम से कम 02 वर्ष का कार्यानुभव (मासिक एवं दैनिक आधार पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने संबधी) शासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाणपत्र संलग्न करें।	
12.	निविदाकार (Bidders) के वैध बैंक खातों के ब्यौरे ।	
14	निविदाकार एकल स्वामित्व की स्थिति में मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति (भागीदारी फर्म की स्थिति में पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत (पार्टनरशिप डीड के साथ) एवं कम्पनी की स्थिति में कम्पनी एक्ट)।	

नोट :– निविदाकर्ता द्वारा अगर कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो उसका अनुबंध निरस्त करने तथा निविदा प्रतिभूति राशि अथवा निष्पादन प्रतिभूति राशि को राजसात करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त महिला एवं बाल विकास भोपाल म.प्र. को होगा।

निविदाकार का नाम : ....

हस्ताक्षर .... **दिनांक** ....

Email ________________________________

फोन नं.. **मोबाइल** ....

प्रपत्र ब–1

(वित्तीय प्रस्ताव प्राइस बिड)

(दरों की प्रविष्टि लिफाफा B अंतर्गत वित्तीय बिड 1 में ऑनलाईन की जाये)

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, भोपाल (म.प्र.)

कार्य का नाम – कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय हेतु मासिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।

निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

मासिक दरें

निविदा प्रपत्र अनुसार वाहन संबंधी जानकारी एवं वाहन के लिये मासिक दरें (सभी कर सहित) :–

(राशि रूपयों में)

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :									
PRICE SCHEDULE (This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)									
NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	Minimum 1000KM Per Day (10 hours) RATE With Driver, POL and All Taxes In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	Extra Per Km Price with all texes after 1000 KM	TOTAL AMOUNT in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes Rs. P Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	14	53	54	55
1	Vehicle For Monthly With Driver & Diesel								
1.01	Tata Indigo A.C.	item1	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	Tata Indigo Non A.C.	item2	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.03	hyundai accent A.C.	item3	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	hyundai accent Non A.C.	item4	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.05	Maruti Suzuki Dzire A.C.	item5	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.06	Maruti Suzuki Dzire Non A.C.	item6	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.07	Tata Zest A.C.	item7	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.09	Tata Zest Non A.C.	item9	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.1	Swift Dzire A.C.	item10	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.11	Swift Dzire Non A.C.	item11	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.12	Hyundai Elite A.C.	item12	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.13	Hyundai Elite Non A.C.	item13	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.14	Maruti Suzuki Ciaz Sigma A.C.	item14	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.15	Maruti Suzuki Ciaz Sigma Non A.C.	item15	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.16	Ford Aspire A.C.	item16	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.17	Ford Aspire Non A.C.	item17	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.18	Maruti Baleno Delta A.C.	item18	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.19	Maruti Baleno Delta Non A.C.	item19	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.2	scorpio A.C.	item20	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.21	scorpio Non A.C.	item21	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.22	Maruti S-Cross A.C.	item22	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.23	Maruti S-Cross Non A.C.	item23	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.24	Hyundai Creta A.C.	item24	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.25	Hyundai Creta Non A.C.	item25	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.26	Renault Duster A.C.	item26	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.27	Renault Duster Non A.C.	item27	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.28	Honda City A.C.	item28	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.29	Honda City Non A.C.	item29	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.3	Toyota Yaris J cvt A.C.	item30	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.31	Toyota Yaris J cvt Non A.C.	item31	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.32	Innova Crysta A.C.	item32	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
1.33	Innova Crysta Non A.C.	item33	1.000	Nos			0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures							0.00	0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only							

मै निविदाकार .... पता ....फर्म/संस्था का नाम ....उक्त अनुसार न्युन्तम दरें ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://https://mptenders.gov.in/nicgep/app के माध्यम से आनलाईन प्रस्तावित करता हूॅ। मेंरे द्वारा निविदा की शर्तें एवं नियम की कंडिका 1 से 8 का अध्ययन कर लिया है एवं मैं इनके पालन के लिये सहमत हैं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र–ब–2

(वित्तीय प्रस्ताव प्राइस बिड)

(दरों की प्रविष्टि लिफाफा B अंतर्गत वित्तीय बिड–2 में ऑनलाईन की जाये)

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, भोपाल (म.प्र.)

कार्य का नाम – कार्यालय संचालनालय महिला एवं बाल विकास, मध्यप्रदेश भोपाल कार्यालय हेतु दैनिक दर पर किराये के वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में।

निविदा क्रमांक .... दिनांक ....

दैनिक दरें

निविदा प्रपत्र अनुसार वाहन संबंधी जानकारी एवं वाहन के लिये दैनिक दरें (सभी कर सहित) :–

(राशि रूपयों में)

PRICE SCHEDULE

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevent columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER #	NUMBER	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	80KM Per Day (10 hours) RATE With All Taxes In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	Extra Per Km Price after 80KM	Night Halt Rate (Per Night)	TOTAL AMOUNT in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes Rs. P Rs. P	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	14	21	53	54	55
1	Vehicle For Full Day With Driver & Diesel									
1.01	Tata Indigo A.C.	item1	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	Tata Indigo Non A.C.	item2	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.03	hyundai accent A.C.	item3	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	hyundai accent Non A.C.	item4	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.05	Maruti Suzuki Dzire A.C.	item5	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.06	Maruti Suzuki Dzire Non A.C.	item6	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.07	Tata Zest A.C.	item7	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.09	Tata Zest Non A.C.	item9	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.1	Swift Dzire A.C.	item10	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.11	Swift Dzire Non A.C.	item11	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.12	Hyundai Elite A.C.	item12	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.13	Hyundai Elite Non A.C.	item13	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.14	Maruti Suzuki Ciaz Sigma A.C.	item14	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.15	Maruti Suzuki Ciaz Sigma Non A.C.	item15	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.16	Ford Aspire A.C.	item16	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.17	Ford Aspire Non A.C.	item17	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.18	Maruti Baleno Delta A.C.	item18	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.19	Maruti Baleno Delta Non A.C.	item19	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.2	scorpio A.C.	item20	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.21	scorpio Non A.C.	item21	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.22	Maruti S-Cross A.C.	item22	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.23	Maruti S-Cross Non A.C.	item23	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.24	Hyundai Creta A.C.	item24	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.25	Hyundai Creta Non A.C.	item25	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.26	Renault Duster A.C.	item26	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.27	Renault Duster Non A.C.	item27	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.28	Honda City A.C.	item28	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.29	Honda City Non A.C.	item29	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.3	Toyota Yaris J cvt A.C.	item30	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.31	Toyota Yaris J cvt Non A.C.	item31	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.32	Innova Crysta A.C.	item32	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
1.33	Innova Crysta Non A.C.	item33	1.000	Nos				0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures								0.00	0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only								

मै निविदाकार .... पता ....

फर्म/संस्था का नाम ....उक्त अनुसार न्यूनतम दरें ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://https://mptenders.gov.in/nicgep/app के माध्यम से आनलाईन प्रस्तावित करता हूं। मेंरे द्वारा निविदा की शर्तें एवं नियम की कंडिका 1 से 8 का अध्ययन कर लिया है एवं मैं इनके पालन के लिये सहमत हूं।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, भोपाल (म.प्र.)

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित सीमा अनुसार वाहनों का वर्गीकरण

क्र.	मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित सीमा	वाहन का प्रकार
A	₹ 6.30-6.50 लाख (Ex-Showroom Price)	टाटा इन्डिगो
		होन्डाई एक्सेंट
		मारूती सुजुकी डिजायर
		टाटा जेस्ट
B	₹ 7.10-8.00 लाख (Ex-Showroom Price)	स्विफ्ट डिजायर
		होन्डाई इलाईट
		मारूती सुजुकी सियाज सिगमा
		फोर्ड एस्पायर
		मारूती बलेनो डेल्टा
C	₹ 9.10-10.00 लाख (Ex-Showroom Price)	स्कारपियो
		मारूती एस–क्रास
		होन्डाई क्रेटा
		रिनाल्ट डस्टर
		होंडा सिटी
		टोयोटा यारिस J CVT
D		इनोवा क्रिस्टा